प्रेस नोट दिनांक 10.04.2026

गुमशुदा खोये 125 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 41,00000 (इकतालिस लाख) रुपये बरामद कर पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा मोबाइल स्वामियों को किया गया सुपुर्द -

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, श्री कमलेश बहादुर जी के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपुत के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल टीम की सतत् मॉनिटरिंग में जनपद के समस्त थानों पर गठित साइबर सेल टीम व मोबाईल बरामदगी टीम द्वारा जनपद मऊ के भिन्न-भिन्न स्थानों से गुम हुये कुल 164 मोबाईल फोन अनुमानित मूल्य करीब 41 लाख रुपये को ceir.gov.in पोर्टल की मदद से बरामद करते हुये वास्तविक मोबाईल स्वामी को आज दिनांक 10.04.2026 को सुपुर्द किया गया। समस्त मोबाईल धारक अपना खोया हुआ मोबाईल पाकर बहुत प्रसन्न हुयें और मऊ पुलिस की प्रशंसा की। मोबाईल बरामदगी का थानावारण विवरण निम्न है-

थानावार बरामद मोबाईल विवरण-

कोतवाली – 12	सरायलखंसी – 23	दक्षिणटोला – 17	साईबर थाना - 11
रानीपुर – 12	चिरैयाकोट – 3	मुहम्दाबाद -9	कोपागंज -18
घोसी -16	दोहरीघाट – 11	मधुबन – 15	रामपुर – 4
हलधरपुर - 13			

मोबाईल गुम होने पर क्या करें-

मोबाईल गुम होने की दशा में निकटतम पुलिस थाना पर जाकर लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत दर्ज करायें अथवा मोबाईल एप्प UPCOP के माध्यम से गुम सम्पत्ति टैब में गुम हुये मोबाईल का पूर्ण विवरण दर्ज करें, तत्पश्चात नया सिम प्राप्त करें जो गुम हुआ हो। ceir.gov.in पोर्टल पर block stolen/lost mobile टैब में खोये हुये मोबाईल का विवरण सही-सही दर्ज करें, आपके नम्बर पर पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा जिसे सुरक्षित रखें। जब मोबाईल ट्रैस होगा उस दशा में आपके नम्बर पर SMS के द्वारा जानकारी प्राप्त होगी, तत्पश्चात निकटतम थाना सम्पर्क करें।

हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में थाना

कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर हयात सेन्टर मुंशीपुरा के पास से मु0अ0स0 104/26 धारा 109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त शाहिल उर्फ मॉडल पुत्र अलाउद्दीन निवासी नई बस्ती मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर को गिरफ्तार का चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण –

1. शाहिल उर्फ मॉडल पुत्र अलाउद्दीन निवासी नई बस्ती मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 104/26 धारा 109(1) बीएनएस

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 10.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं जनपद के समस्त थानो द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, बिना वैध कागजात, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग की गयी।

अभियान के अंतर्गत 46 टीम गठित कर जनपद के 41 स्थानों पर बदल बदलकर 2000 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 205 वाहनों को विभिन्न धारोओ में चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।